न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.

प्रकरण सं.– 07/2016

पंजियन दि.11.08.2016
निर्णय दि. 25.01.2018

श्री शंकर पिता सोमा डामोर मीणा, निवासी सेंगालमहुडी, चुण्डावाडा तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

––प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री अर्जुन पिता झाला भील मीणा, निवासी सेंगालमहुडी चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती सविता पत्नी अर्जुन मीणा, निवासी सेंगालमहुडी चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्री सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

––विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) भू–राजस्व

(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत

उपस्थित :– 1. श्री हितेन्द्र पटेल – अभिभाषक प्रार्थी
2. श्रीमती स्वाति पारीक–अभिभाषक विपक्षी सं. 1 व 2
3. पेरोकार सरकार विपक्षी सं. 3

:: निर्णय ::

विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के नाम जरिये मीसल संख्या 781/2010 दिनांक 24.12.2010 के द्वारा ग्राम सेंगाल महुडी चुण्डावाडा के खसरा नम्बर 5491 में से रकबा 1–00 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ग्राम सेंगाल महुडी चुण्डावाडा के निवासी है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के नाम ग्राम सेंगालमहुडी चुण्डावउा के बिलानाम खसरा संख्या 5491 में से रकबा 1.00 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित हुई है, जिसका नवीन खसरा संख्या 839/5491 कायम हुआ है। प्रार्थी ने अपना करीब 30 वर्षो का कब्जा काश्त होना, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करना एवं आवंटन में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नही करने इत्यादी कारणों आवंटन को निरस्त कराने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर डूंगरपुर

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते आराजी संख्या 5616/5491 रकबा 5.00 बीघा विपक्षी सं. 1 के पिता श्री झाला के खाते एवं कब्जे काश्त में होना बताया। विपक्षी सं. 1 व 2 ने अपने जवाब में आगे अंकित किया है कि आराजी संख्या 5491 एक विस्तृत आराजी है तथा प्रार्थी के कब्जे की एवं विपक्षीगण के खाते की भूमि अलग–अलग है तथा इनके मध्य में रास्ता है। विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम आवंटित भूमि की आराजी संख्या 6206/5491 होकर विपक्षीगण इस पर काश्त–काबिज है तथा विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के नाम किया गया आवंटन वैध है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी संख्या 839/5491 रकबा 1.00 बीघा भूमि तथा विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब में अंकित आराजी संख्या 6206/5491 रकबा 1.00 बीघा बाबत् विरोधाभास एंव भ्रामक स्थित उत्पन्न होने से जरिये पत्र क्रमांक 3308 दिनांक 12.10.2017 के द्वारा तहसीलदार बिछीवाड़ा से स्थित को स्पष्ट करने बाबत् रिपोर्ट चाही गई। तहसील बिछीवाड़ा से जांच रिपोर्ट क्रमांक 1138 दिनांक 01.12.2017 के प्राप्त हो संलग्न पत्रावली है जिसके अनुसार ग्राम सेंगालमहुडी (चुण्डावाडा) के खसरा नम्बर 5491 में से जरिये मीसल नम्बर 781/10 दिनांक 24.12.2010 के द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम रकबा 1.00 बीघा भूमि आवंटित होना एवं जरिये नामान्तरकरण संख्या 65 के रेकार्ड में अमलदरामद होकर नवीन आराजी संख्या 839/5491 रकबा 1.00 बीघा जमाबंदी संवत् 2067–71 के खाता संख्या–1 में अंकन किया गया था जो नवीन ग्राम सेंगालमहुडी के कुल खसरा नं. के आगे का नम्बर था। किन्तु रोटेशन के समय नवीन जमाबंदी संवत् 2071–74 के बनाते समय ज्ञात हुआ कि मूल आवंटी नम्बर से नया कायम होने वाला नम्बर बड़ा होना चाहिये, जिस पर मूल ग्राम चुण्डावाडा के अंतिम खसरा नम्बर के आगे का नम्बर 6206/5491 रकबा 1–00 बीघा अंकित किया गया तथा इस प्रकार खसरा संख्या 839/5491 रकबा 1.00 बीघा एवं 6206/5491 रकबा 1–00 बीघा दोनों खसरा एक ही होकर विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज है एवं स्थान एक ही होकर आवंटी मौके पर काबिज है। इस प्रकार अब विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के नाम ग्राम सेंगालमहुडी (चुण्डावाडा) के खसरा नम्बर 5491 में रकबा 1–00 बीघा जो आवंटित हुआ है उसका नवीन जमाबंदी संवत् 2071–74 के अनुसार सही नम्बर 6206/5491 है।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 व 2 के उपस्थित अभिभाषकगण तथा पेरोकार सरकार की बहस समायत की गई। प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आवंटित भूमि में भूमि आवंटन नियमों में वर्णित प्रक्रियाओं की पालना नही की गई है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि पर प्रार्थी का विगत करीब 30 वर्षो से कब्जा काश्त हैं विपक्षीगण को आवंटित भूमि पर विपक्षीगण काबिज–काश्त नही है एवं नही उनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना ही की गई है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का आगे यह भी कथन रहा है। कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि बाबत् मौका स्थिति की जानकारी प्राप्त किये बगैर ही उक्त आवंटन किया गया है। विपक्षी सं. 1 व 2 सद्भावी कृषक नही है तथा उनके द्वारा कपटपूर्वक उक्त आवंटन करवाया गया है। विपक्षी सं. 1 व 2 भूमिहीन व्यक्ति नही है, आवंटित भूमि की नक्षे में पैमूदगी नही है, आस–पडौस का विवरण अंकित नही है एवं आवंटन गलत तथ्यों के आधार पर कराने आवंटन निरस्त किया जावे।

विपक्षी सं. 1 व 2 के योग्य अभिभाषक का कथन है कि विपक्षी को आवंअित भूमि के पास ही उसके पिता के नाम आवंटित भूमि रकबा 5–00 बीघा स्थित है तथा इस भूमि के पास ही विपक्षी सं. 1 के कब्जे–काश्त की 1–00 बीघा भूमि की स्थिति होने से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार मौके एवं रेकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर आवंटन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। आवंटित भूमि पर विपक्षी सं. 1 व 2 काबिज काश्त है तथा मकान बना परिवार सहित निवासरत है। विपक्षी सं. 1 व 2 के योग्य अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि आराजी संख्या 5491 का विस्तृत क्षेत्र है तथा इसमें प्रार्थी अन्यत्र काबिज है अथवा उसका आवंटन है तो वह सक्षम न्यायालय से नक्षे में सही पैमूदगी अथवा तरमीम कराने स्वतंत्र है, विपक्षी सं. 1 व 2 को वैध रूपेण आवंटित एवं मौके पर काबिज–काश्त स्थिति में दखल करने का उसे कोई अधिकार नही है। आगे यह भी कथन रहा है कि विवादित आराजी बाबत् तहसीलदार से मंगवाई गई रिपोर्ट में समस्त स्थिति एवं आराजी भूमि की अवस्थिति को स्पष्ट करते हुए आवंटी को मौके पर काबिज होना अंकित किया है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होकर काबिल खारिज के है जिससे इसे खारीज किया जावे एवं विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम किया गया आवंटन को बहाल रखा जावे। विपक्षी सं. 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा न्यायालय का ध्यान मा.उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायिक निर्णय 2011 (3) DNJ (Raj.) 1100 चन्द्रसिंह के उत्तराधिकारी वगैरा बनाम राजस्थान राज्य वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2011 की ओर भी आकर्षित कराया गया। उपस्थित पेरोकार सरकार ने आवंटन नियमानुसार होना जाहीर किया।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णय का ससम्मान पठन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर तत्कालिन ग्राम चुण्डावाडा जो विभक्त होकर नया ग्राम सेंगालमहुडी बना है, उसके बिलानाम खसरा संख्या 5491 में रकबा 1–00 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मीसल संख्या 781/10 से आवंटित हुई है। उक्त आवंटित भूमि का पूर्व में नया नम्बर 839/5491 कायम किया गया जो बाद में नवीन जमाबंदी संख्या 2071–74 में 6206/5491 कायम हुआ है। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य अथवा प्रमाण पेश करना नही पाया जाता है जिससे यह पाया जावे कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा मीस रिप्रजेन्टेशन अथवा फ्रॉड द्वारा उक्त भूमि आवंटित करवाई गई हो या विवादित भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त हो। आराजी संख्या 5491 का क्षेत्र संलग्न जमाबंदी अनुसार विस्तृत है जिससे यह नही कहा जा सकता है कि जहां विपक्षी सं. 1 व 2 को आवंटन हुआ है, वही प्रार्थी काबिज हो। आराजी संख्या 5491 के विस्तृत क्षेत्र में से यदि प्रार्थी को कोई भूमि आवंटित है या उसका कही कब्जा काश्त है तो वह इसकी मौका जांच तहसीलदार से करवाते हुए सक्षम न्यायालय से तरमीम दुरस्ती बाबत् राहत प्राप्त करने स्वतंत्र है। तहसीलदार बिछीवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम आवंटित भूमि पर आवंटी काबिज है। प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नही हुए है, जिससे विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम आवंटित उक्त भूमि में अनियमितता अथवा तथ्यों की त्रुटि हो एवं इसके अभाव में आवंटित भूमि में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा मौजा सेंगालमहुडी (चुण्डावाडा) के खसरा नम्बर 5491 में विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम किया गया आवंटन रकबा 1–00 बीघा जिसका हाल में नवीन आराजी संख्या 6206/5491 है को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर